न्यायालय सहायक कलक्टर(एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी—श्री जगदीश सिंह आशिया आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :—72/2023

वादीगण **बनाम** प्रतिवादीगण

1. किरण पुत्री नारणाराम उम्र 8 वर्ष
2.उर्मिला पुत्री नारणाराम उम्र 3 वर्ष वादीगण संख्या 1 से 2 नाबालिग जरिये कुदरती वली माता कमलादेवी पत्नि नारणाराम जाति जाट निवासी लाखोणी सारणों की ढाणी, तहसील सिणधरी जिला बाडमेर हाल बालोतरा
3.खेमाराम पुत्र हनुमानराम उम्र 22 वर्ष जाति जाट निवासी लाखोणी सारणों की ढाणी, तहसील सिणधरी जिला बाडमेर हाल बालोतरा

1. भीमाराम पुत्र मालाराम उम्र 73 वर्ष
2. नारणाराम पुत्र भीमाराम उम्र 34
3. मोटाराम पुत्र भीमाराम 40 वर्ष
4. हनुमानराम पुत्र भोमाराम उम्र 45 वर्ष जातियान जाट निवासी लाखोणी सारणों की ढाणी तहसील सिणधरी जिला बाडमेर हाल बालोतरा
5.रामूदेवी पुत्री भीमाराम पत्नि जेठाराम उम्र 43 वर्ष जाति जाट निवासी रावतसर तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर
6.शान्तिदेवी पुत्री भीमाराम पत्नि रामाराम उम्र 36 वर्ष जाति जाट निवासी एड सिणधरी तहसील सिणधरी जिला बालोतरा
7.तहसीलदार, सिणधरी जिला बालोतरा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,188,40,207,209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित— श्री भंवरलाल सारण वकील वादीगण।

पैरोकार सरकार उप.। प्रतिवादी सं. 1,3 से 6 स्वयं उपस्थित। शेष एकतरफा।

निर्णय

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 10:04:51 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक— 22.08.2025

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 से 6 हिन्दू विधि से शासित है। पक्षकारान का एक ही खानदान तथा संयुक्त हिन्दू परिवार है। पक्षकारान की वंशमाला के

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

Scanned with OKEN Scanner

वंशज है। कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 6 पैतृक व पुश्तैनी कब्जा काश्त के खेत खसरा नम्बर 359/93 रकबा 6.7956 हेक्टेयर तथा खसरा नम्बर 374/93 रकबा 2.5888 हैक्टेयर मौजा लाखोंणी सारणों की ढाणी पटवार क्षेत्र कमठाई तहसील सिणधरी में स्थित है जो वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के मुतवफी स्व. मालाराम के खातेदारी का था, वक्त सेटलमेन्ट स्व. मालाराम के नाम से पर्चा लगान जारी हुआ था तथा वादीगण के पड़दादा स्व. मालाराम के फौत होने पर उनके पुत्र वादीगण के दादा प्रतिवादी संख्या 1 भीमाराम का नाम स्व. मालाराम के स्थान पर दर्ज हुआ, जिससे वादग्रस्त आराजी वादीगण के दादा प्रतिवादी संख्या 1 को पैतृक खातेदारी की है। इस प्रकार वादग्रस्त समस्त भूमि वादीगण के दादा प्रतिवादी संख्या 1 को पैतृक सम्पति के रूप में अपने पिता स्व. मालाराम से प्राप्त हुई थी, पैतृक सम्पति होने से वादीगण के जन्म के साथ ही वादग्रस्त भूमि में हक हिस्सा निहित हो गया। कि वादग्रस्त आराजी में वादीगण संख्या 1 से 2 प्रतिवादी संख्या 2 की जायंदा नाबालिग पुत्रीया है एवं दादा प्रतिवादी संख्या 1 की पौत्रीयां है इसी प्रकार वादी संख्या 3 प्रतिवादी संख्या 4 का पुत्र है एवं प्रतिवादी संख्या 1 का पौत्र है एवं प्रतिवादी संख्या 2 से **6** जो प्रतिवादी संख्या 1 के पुत्र/पुत्रीयां है, वादीगण का वादग्रस्त भूमि पैतृक होने से अपने दादा के नाम की सम्पति में जन्म से ही अपने दादा के साथ उनके जन्म के साथ ही हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 व 8 के अनुसार हक हिस्सा पैदा हो चुके है, जिससे वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 6 का वादग्रस्त भूमि पुश्तैनी होने से हक हिस्सा पैतृक खातेदारी का है, वादग्रस्त भूमि पैतृक होने से वादीगण संख्या 1 से 2 प्रत्येक का 1/18–1/18 हिस्सा, वादी संख्या 3 का 1/12 हिस्सा है, तथा इसी अनुसार वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से **6** के मध्य भूमि का बाहामी बंटवाड़ा किया हुआ था तथा वादीगण अपने हिस्से की भूमि पर रहवासी ढाणी बनाकर अपने परिवार सहित अलग निवास कर रहे है, चूंकि वादीगण संख्या 1 से 2 नाबालिग होने से उनके हितो के संरक्षण के लिये यह दावा कुदरती वली माता कमलादेवी की ओर से पेश है, कि वादग्रस्त भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 6 की सहदायिकी सम्पत्ति होने से प्रत्येक का बराबर हक हिस्सा है परन्तु राजस्व रेकर्ड में वादीगण का नाम अंकित नहीं है तथा समस्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज है, जिसका वादीगण के दादा प्रतिवादी संख्या 1 ने नाजायज फायदा उठाते हुऐ बेशकीमती भूमि खसरा नम्बर 374/93 रकबा 2.5888 हेक्टेयर यानि सम्पूर्ण हिस्सा तथा खसरा नम्बर 359/93 रकबा 6.7956 में से 2.2662 हेक्टेयर भूमि में अपने विधिक हिस्से से अधिक वादीगण के हिस्से सहित समस्त भूमि का एक बैचान पत्र दिनांक 11.08. 2023 को किसी अजनबी क्रेता के पक्ष में कर दिया था जिस संबंध में वादीगण से कोई सहमति नहीं ली गई है तथा न ही वादीगण को कोई जानकारी दी गई तथा वादीगण के हिस्से की भूमि को प्रतिवादी संख्या 1 ने गुप्त रूप से अपने नाम दर्ज भूमि का बैचान वादीगण के हिस्से सहित कर दिया है जो बैचानपत्र वादीगण के हक हिस्से तक प्रारम्भ से ही शुन्य एवं निष्प्रभावी है क्योंकि वादग्रस्त भूमि पैतृक खातेदारी की भूमि है तथा पैतृक खातेदारी की भूमि में वादीगण का जन्म के साथ ही हक हिस्सा निहित हो गया था तथा वादीगण स्व. मालाराम के विधिक उतराधिकारी होने से वादग्रस्त भूमि में अपना हक हिस्सा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 19:04:51 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

Scanned with OKEN Scanner

40 व हिन्दू उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 व 8 के अनुसार जन्म के साथ ही निहित हो गये था। अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर वादीगण के हिस्से की भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा किये बैचानपत्र दिनांक 11.08. 2023 को अपने हक हिस्से तक शुन्य एवं निष्प्रभावी घोषित करवाकर समस्त वादग्रस्त भूमि में वादीगण संख्या 1 से 2 प्रत्येक का 1/18–1/18 हिस्सा व वादी संख्या **3** का 1/12 हिस्सा घोषित किया जावे तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध अपने कब्जा काश्त में हस्तक्षेप नहीं किये जाने के आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी करवाने हेतु यह वाद प्रस्तुत किया है।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण के सम्मन तामील शुदा प्राप्त हुए। प्रतिवादीगण सं. 1 से 6 बावजूद सम्मन तामिल होने के बावजूद भी सुनवाई हेतु उपस्थिति नहीं होने पर उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवादी अमल में लाई गई। प्रतिवादी की तरफ से वकील श्री पावूराम वेनीवाल ने एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। परन्तु दरम्यान सुनवाई के प्रतिवादी सं. 1 व 3 से 6 ने अपनी स्वयं की ओर से प्रार्थना पत्र मय जवाब प्रस्तुत किया, जिसकी तस्दीक वकील श्री भंवरलाल चौधरी द्वारा दी गई। प्रतिवादी सं. 7 के पैरोकार सरकार उप.।

प्रतिवादीगण के विरूद्ध पूर्व में एकतरफा कार्यवाही किये जाने तथा बाद में उनके स्वयं द्वारा अपनी ओर से वाद के तथ्यों को स्वीकार करते हुए जवाब प्रस्तुत किया। वादी का वाद प्रतिवादीगण स्वय द्वारा स्वीकार किये जाने से तनकीयात कायम की आवश्यकता नहीं रही और न ही गवाहान तलब किये गये।

हमनें उभयपक्ष की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन एवं विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यों पर विवेचन किया। वादीगण तथा प्रतिवादी सं. 1 से 6 हिन्दू विधि से शासित है। पक्षकारान का एक ही खानदान तथा संयुक्त परिवार है। पक्षकारान स्व. माला के वंशज है। कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पैतृक पुश्तैनी कब्जा काश्त के खेत खसरा नम्बर 359/93 रकबा 6.7956 हेक्टेयर तथा खसरा नम्बर 374/93 रकबा 2.5888 हैक्टेयर मौजा लाखोंणी सारणों की ढाणी पटवार क्षेत्र कमठाई तहसील सिणधरी में स्थित है जो वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के मुतवफी स्व. मालाराम के खातेदारी का था, वक्त सेटलमेन्ट स्व. मालाराम के नाम से पर्चा लगान जारी हुआ था तथा वादीगण के पड़दादा स्व. मालाराम के फौत होने पर उनके पुत्र वादीगण के दादा प्रतिवादी संख्या 1 भीमाराम का नाम स्व. मालाराम के स्थान पर दर्ज हुआ, जिससे वादग्रस्त आराजी वादीगण के दादा प्रतिवादी संख्या 1 को पैतृक खातेदारी की है। इस प्रकार वादग्रस्त समस्त भूमि वादीगण के दादा प्रतिवादी संख्या 1 को पैतृक सम्पति के रूप में अपने पिता स्व. मालाराम से प्राप्त हुई थी, पैतृक सम्पति होने से वादीगण के जन्म के साथ ही वादग्रस्त भूमि में हक हिस्सा निहित हो गया। कि वादग्रस्त आराजी में वादीगण संख्या 1 से 2 प्रतिवादी संख्या 2 की जायंदा नाबालिग पुत्रीया है एवं दादा प्रतिवादी संख्या 1 की पौत्रीयां है इसी प्रकार वादी संख्या 3 प्रतिवादी संख्या 4 का पुत्र है एवं प्रतिवादी संख्या 1 का पौत्र है एवं प्रतिवादी संख्या 2 से **6** जो प्रतिवादी संख्या 1 के पुत्र/पुत्रीयां है,

सहायक कलेक्टर SDO सिणधरी

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 19:04:51 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

वादीगण का वादग्रस्त भूमि पैतृक होने से अपने दादा के नाम की सम्पति में जन्म से ही अपने दादा के साथ उनके जन्म के साथ ही हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 व 8 के अनुसार हक हिस्सा पैदा हो चुके है, जिससे वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 6 का वादग्रस्त भूमि पुश्तैनी होने से हक हिस्सा पैतृक खातेदारी का है, वादग्रस्त भूमि पैतृक होने से वादीगण संख्या 1 से 2 प्रत्येक का 1/18–1/18 हिस्सा, वादी संख्या 3 का 1/12 हिस्सा है, जिसकी ताईद प्रतिवादीगण द्वारा अपने जवाब के कथनों में करते हुए वादी के वाद को पूर्णतयाः स्वीकार किया गया है। इस प्रकार वादीगण वादग्रस्त भूमि में अपने–अपने हिस्से तक की भूमि अपनी खातेदारी घोषित करवाने तथा स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारिणी है।

लिहाजा वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम लाखोणीं सारणों की ढाणी पटवार मण्डल कमठाई तहसील सिणधरी की खसरा संख्या 374/93 रकबा 2.5888 हैक्टयर में प्रतिवादी सं. 1 द्वारा अपने हिस्से से अधिक बैचान की गई भूमि को वादी सं. 1 व 2 प्रत्येक के 1/18–1/18 हिस्से तथा वादी सं. 3 के 1/12 हिस्से तक शुन्य एवं निष्प्रभावी करार देते हुए केता रायमल पुत्र कोहलाराम् का 29/36 हिस्सा, वादी सं. 1 व 2 प्रत्येक की 1/18–1/18 हिस्सा तथा वादी सं. 3 का 1/12 हिस्सा खातेदारी में घोषित किया जाता है तथा इसी ग्राम की खसरा संख्या 359/93 रकबा 6.7956 हैक्टयर भूमि में बैचान प्रविष्टि को यथावत रखते हुए कुल रकबे का 1/18–1/18 हिस्सा वादी सं. 1 व 2 प्रत्येक की, 1/12 हिस्सा वादी सं. 3 की खातेदारी में करार देते हुए प्रतिवादी सं. 1 के साथ घोषित की जाती है। तहसीलदार सिणधरी को इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते है। प्रतिवादीगण के विरूद्व वादीगण के हिस्से की भूमि में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किये जाने का आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 19:04:55 IST
Reason: SelfAttested

(जगदीश सिंह आशिया)
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)सिणधरी

निर्णय आज दिनांक 22.08.2025 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)सिणधरी

Scanned with OKEN Scanner